राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(8)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 08 MAR 2023

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति/मृत्यु/अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृति आदेश जारी करने /चयनित वेतनमान स्वीकृत करने/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर नियमितिकरण/ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने पर सामूहिक अवकाश अवधि में अवकाश की प्रकृति एवं वेतन स्वीकृति आदि के संबंध में मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने के लिए विभाग में आग्रह किया जाता रहता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा के विभागाध्यक्षों की सूची में बिन्दु संख्या 240 के अनुसार समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को विभागाध्यक्ष घोषित किए हुए है, जिसके अनुसार संबंधित न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम स्तर है।

अतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति/मृत्यु/अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृति आदेश जारी करने/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर नियमितिकरण/कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने पर सामूहिक अवकाश अवधि में अवकाश की प्रकृति एवं वेतन आदि स्वीकृत करने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा के विभागाध्यक्षों की सूची में बिन्दु संख्या 240 के अनुसार समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विभागाध्यक्ष घोषित होने के कारण सक्षम स्तर है।

अतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती को छोड़कर उपरोक्तानुसार समस्त कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों की नियमानुसार समुचित कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

8/3/23

शासन उप सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx